

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके बावजूद श्री केवल चन्द्र सेठिया पे0 स्व0 भवर लाल सेठिया सा0 बिहारीगंज थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया एवं बायोडाटा नहीं समर्पित किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 257/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-03/88(बिहारीगंज थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक सं0-24542 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, बिहारीगंज एवं थानाध्यक्ष, बिहारीगंज के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 147-2 दिनांक 19-03-14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री केवल चन्द्र सेठिया द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन एवं मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री केवल चन्द्र सेठिया पे0 स्व0 भवर लाल सेठिया सा0 बिहारीगंज थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-03/88(बिहारीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना दो नाली बन्दूक सं0-24542 को संबंधित थाना अथवा मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में तथा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संघारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह/—

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....232...../तिथि, मधेपुरा, दिनांक.....22-4-14.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री केवल चन्द्र सेठिया पे0 स्व0 भवरलाल सेठिया, सा0 बिहारीगंज, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।